कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट, जिला जांजगीर–चाम्पा (छ.ग.)

॥ आदेश ॥

क्रमांक/ 4608 /एडीएम स्टेनो/2020 जांजगीर, दिनांक 19 मई, 2020

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) द्वारा नोवेल कोरोना वायरस (COVID -19) को संक्रमण बीमारी घोषित किया गया है। कोरोना वायरस के संक्रमण से भारत समेत पूरे विश्व में खतरा उत्पन्न हो गया है। छ.ग. शासन द्वारा स्वास्थ्य के दृष्टिगत COVID -19 के पीड़ित / संदेही से संपर्क/ दूर रहने एवं इससे बचने के सभी प्रकार संभावित उपायों को अमल मे लाने एव COVID -19 के संभाव्य प्रसार को देखते हुए आदेश/ दिशा–निर्देश एवं एडवायजरी जारी किये गये है। अतः कोरोना वायरस के संभाव्य प्रयास को देखते हुए इसके प्रसार को रोकने के लिए तथा इसके नियंत्रण हेतु इस कार्यालय का आदेश क्रमांक 153/एडीएम/2020 जॉजगीर, दिनांक 03.05.2020 के द्वारा के द्वारा आदेश प्रसारित करते हुए दिनांक 17.05.2020 तक पूर्णतया लॉकडाउन का आदेश जारी किया गया था। गृह मंत्रालय भारत सरकार का आदेश क्रमांक 40–3/2020–DM-1(A) दिनांक 17 मई 2020 के माध्यम से 18.05.2020 से लेकर आगामी 31.05.2020 मध्य रात्रि तक पूरे देश में लॉकडाउन किये जाने के संबंध में जारी आदेश के परिपालन में जॉजगीर–चाम्पा जिले के समस्त नगरीय सीमा क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र के साथ–साथ संपूर्ण जिले में दिनांक 18.05.2020 से 31.05.2020 मध्य रात्रि तक या आगामी आदेश पर्यन्त तत्काल प्रभाव से लॉकडाउन घोषित किया जाता है।

गृह मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश क्रमांक 40–3/2020–DM-1(A) दिनांक 17 मई 2020 एवं छ.ग. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, रायपुर के पत्र क्रमांक 253/स.सा.प्र.वि./2020 दिनांक 17.05.2020 में दिये गये निर्देश /गाईड लाईन के अनुक्रम में जिला जॉजगीर–चाम्पा में समस्त प्रकार की गतिविधियों का संचालन प्रातः 07:00 बजे से सायं 07:00 बजे तक (माह मई के प्रत्येक शनिवार एवं रविवार को छोड़कर) सोशल डिस्टेंसिंग/ फिजीकल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए (मास्क पहनने के निर्देश) की जा सकेगी।

1– **परन्तु आगामी आदेश पर्यन्त निम्न गतिविधियॉं जिले में प्रतिबंधित रहेगी :–**

1. जिले मे सार्वजनिक परिवहन, यान, यात्री बस /सिटी बस/टैक्सी/ऑटो /ई–रिक्शा की सेवाएं पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगी।
2. सभी होटल, रेस्टोरेंट एवं हास्पिटिलिटी सेवाएं **(सेलून/नाई दुकान, मसाज पार्लर, पान दुकान/पान ठेला, ब्यूटीपार्लर, ट्रेवल एजेंसी,टूर ऑपरेटर, क्लब, बार, रिसार्ट, लॉज, कैफे डिस्कोथेक) बंद रहेगी**, अपवाद–स्वास्थ्य/पुलिस /शासकीय सेवक /स्वास्थ्यकर्मी /श्रमिक/पर्यटक सहित फंसे हुये लोग एवं क्वारंटाईन सुविधा में उपयोग में लाये जाने वालो , बस डिपो/स्टेण्ड, रेल्वे स्टेशन में संचालित कैंटीन को छोडकर/ रेस्टोरेंट /होटल को होम डिलिवरी हेतु अनुमति होगी किन्तु **टेक अवे की अनुमति नहीं होगी।**
3. व्यक्तियों का अंतर्राज्यीय परिवहन , छूट –चिकित्सकीय कारण से / गृह मंत्रालय से अनुमति प्राप्त गतिविधियॉं।
4. सभी विद्यालय, सभी महाविद्यालय, शैक्षणिक/ट्रेनिंग/कोचिंग संस्थान इत्यादि बंद रहेंगे परन्तु ऑनलाईन/ डिस्टेंस लर्निंग की अनुमति होगी।

सभी सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, खेल परिसर (स्पोटर्स कॉम्पलेक्स) , स्टेडियम, स्वीमिंग पुल, मनोरंजन, उद्यान (सार्वजनिक पार्क) थियेटर, बार तथा ऑडिटोरियम , सभागृह और इस प्रकार के स्थान, साप्ताहिक /हॉट बाजार/मेला के संचालन पर प्रतिबंध रहेगा।

(जिला दण्डाधिकारी जांजगीर–चाम्पा (छ.ग.) – seal; signature 15/5/2020)
जिला दण्डाधिकारी
जांजगीर, चाम्पा (छ.ग.)

D:\ADM\DHAARA-144.doc134

Scanned by CamScanner

6. चाय की दुकान, नास्ता दुकान, चाट/गुपचुप ठेला, जूस एवं आइसक्रीम के ठेले एवं फॉस्ट फूड ठेला का संचालन प्रतिबंधित रहेगी।
7. सभी सामाजिक/राजनैतिक/खेलकूद/मनोरंजन/ शैक्षणिक/ सांस्कृतिक/ धार्मिक गतिविधियों एवं अन्य सामाजिक आयोजन पर प्रतिबंध रहेगा।
8. सभी धार्मिक स्थान/पूजा के स्थान आमजन के लिए बंद रहेंगे। धार्मिक सभाएं कड़ाई से प्रतिबंधित रहेगी।
9. यथा संभव मालवाहनों से माल की लोडिंग /अनलोडिंग भीड़-भाड़ वाली गलियों या स्थलों पर न किया जाय। यदि ऐसे स्थलों पर अनलोडिंग किया जाना हो तो इसे रात्रि में ऐसे समय में किया जाए जब वहाँ पर भीड़-भाड़ न हो।
10. शहरी/नगरीय क्षेत्र में औद्योगिक गतिविधियों का संचालन मुख्य महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, जॉजगीर-चाम्पा से सत्यापन/अनुमति उपरांत भारत सरकार, गृह मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देश का पालन करते हुए प्रारंभ की जा सकती है।

2– व्यक्तियों की सुरक्षा और उनकी सुरक्षा के उपाय :–

1. <u>रात्रि कर्फ्यू</u> – अत्यावश्यक गतिविधियों को छोड़कर व्यक्तिगत आवाजाही संपूर्ण जॉजगीर-चाम्पा जिला में सायं 07.00 बजे से प्रातः07.00 बजे तक पूर्णतः बंद रहेगी जिसका कड़ाई से पालन किया जावे।
2. 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, अन्य रोगों से ग्रस्त व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं और 10 वर्ष से कम आयु के बच्चे घर पर ही रहेंगे। वे केवल आवश्यक सेवाओं और स्वास्थ्य प्रयोजनों के लिए ही बाहर जा सकते है।
3. आम जन को सलाह दी जाती है कि वे अपने फोन में आरोग्य सेतु एप इंस्टाल करें और उसमें रोजना अपना हेल्थ स्टेटस अपडेट करें।
4. दफ्तरों और कार्यालयों में (निजी एवं शासकीय) कर्मचारियों की बेहतर सुरक्षा हेतु नियोक्ताओं को निर्देश दिया जाता है कि वे सभी कर्मचारियों के फोन में आरोग्य सेतु एप डाउनलोड करवायें।

3– सार्वजनिक स्थलों हेतु कोरोना वायरस से बचाव एवं सुरक्षा के निर्देश/ शर्तें :–

1. सार्वजनिक एवं कार्यस्थल पर फेस मास्क पहनना अनिवार्य होगा।
2. दुकान में एक समय में पाँच से ज्यादा व्यक्तियों को इकट्ठा न होने दिया जाये।
3. दुकान को प्रतिदिन खोलने के पूर्व सेनेटाईज किया जाये।
4. दुकान के बाहर साबुन एवं स्वच्छ पानी अथवा सेनेटाईजर की व्यवस्था की जाये तथा प्रत्येक क्रेता हाथ धोने के उपरांत ही दुकान में प्रवेश करें।
5. दुकान परिसर एवं सार्वजनिक स्थल में थूकना पूर्णतया प्रतिबंधित होगा।
6. दुकान परिसर एवं सार्वजनिक क्षेत्र में मदिरा, पान, गुटका, तम्बाकू इत्यादि का सेवन पूर्णतया प्रतिबंधित होगा।
7. दुकान परिसर में 01-01 मीटर की दूरी पर दुकान मालिक द्वारा व्यक्तियों के फिजीकल डिस्टेंसिंग पालन कराने हेतु निशान लगाया जाये।
8. विवाह संबंधी कार्यक्रम में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाना अनिवार्य होगा तथा इसमें सम्मिलित व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 50 (पचास) होगी। इसकी अनुमति संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी से प्राप्त की जा सकेगी।
9. अंतिम संस्कार/ अन्त्येष्टि जैसे आयोजनों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाना अनिवार्य होगा तथा इसमें सम्मिलित व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 20(बीस) होगी। अनुमति संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी से प्राप्त की जा सकेगी।
10. समस्त कारखाना/औद्योगिक संस्थान एवं व्यवसायिक परिसर में थर्मल स्कैनिंग, मास्क, सेनेटाईजर, हाथ धोने के साबुन एवं पानी की व्यवस्था सुनिश्चित हो। साथ ही साथ कार्यरत कर्मचारियों की पाली में ड्यूटी लगाया जाना आवश्यक होगा।

13/5/2020

दाण्डिक प्रावधान :-

उपरोक्त लॉकडाउन आदेशों एवं दिशा–निर्देशों के उल्लंघन करते हुए पाए जाने पर संबंधित व्यक्ति के विरूद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 से 60, भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188 तथा अन्य सुसंगत विधिक प्रावधानों जैसे लागू हो, के अंतर्गत कार्यवाही के भागी होंगे। जिले मे हॉटस्पाट एवं कंटेन्मेंट जोन घोषित होने की दशा मे शासन द्वारा संपूर्ण लॉकडाउन के संबंध में जारी निर्देश पूर्वानुसार प्रभावी होंगे तथा इन अतिरिक्त गतिविधियों को निष्पादित करने की अनुमति हॉटस्पॉट एवं कंटेन्मेंट जोन में कदापि नही होगी।

जिला जॉजगीर–चाम्पा क्षेत्र अंतर्गत लॉकडाउन अवधि में अनुमति प्राप्त दुकानो की सूची :-

क्र	व्यापार	संचालन समय
1	सब्जी, फल, डेयरी, पनीर, किराना	सुबह 07:00 से सायं 05:00 बजे तक
1.A	दूध बांटने हेतु	सुबह 06:00 से सायं 11:00 बजे तक शाम 05:00 से सायं 07:00 बजे तक
2	मटन, मुर्गा, मछली एवं अंडा की दुकान	सुबह 10:00 से सायं 05:00 बजे तक
3	समस्त मेडिकल से संबंधित व्यवसाय , हॉस्पिटल, लैब	24 घंटे
4	पेट्रोल पंप	सामान्य समय में
5	गैस एजेंसी / पी.डी.एस.	------"------
6	बेकरी	सुबह 10:00 से सायं 05:00 बजे तक
7	दुपहिया / चारपहिया रिपेयरिंग / सर्विसिंग, कार एसेसरीज	सुबह 10:00 से सायं 05:00 बजे तक
8	कृषि सामग्री, कृषि उपकरण, खाद, बीज, हरा चारा, पेट शॉप, पशु चारा	सुबह 10:00 से सायं 05:00 बजे तक
9	ऑटो पार्टस एवं एग्री पार्टस एवं इंडस्ट्रियल के स्पेयर पार्टस, डोमेस्टिक रिपेयरिंग, ऑटोमोबाईल सर्विस सेन्टर आई.टी. केबल रिपेयरिंग, टायर शाप	सुबह 10:00 से सायं 05:00 बजे तक
10	हार्डवेयर ,पेन्ट, सेनेटरी, ग्लास, सनमाईका, मार्बल, टाईल्स, सीमेंट, लोहा, जूता, कपड़ा	सुबह 10:00 से सायं 05:00 बजे तक
11	इलेक्ट्रिकल्स, आप्टिकल्स, स्टेशनरी, कूलर पंखा , RO , वाटर फिल्टर	सुबह 10:00 से सायं 05:00 बजे तक
12	टी.व्ही., एसी, फ्रिज, वाशिंग मशीन, कम्प्युटर, आई टी इलेक्ट्रानिक्स, मोबाईल शॉप	सुबह 10:00 से सायं 05:00 बजे तक
13	ज्वेलर्स	सुबह 10:00 से सायं 05:00 बजे तक
14	जनरल स्टोर्स, मनिहारी, अगरबत्ती, स्पोर्टस, टायज	सुबह 10:00 से सायं 05:00 बजे तक
15	फर्नीचर, पुष्प	सुबह 10:00 से सायं 05:00 बजे तक
16	बर्तन दुकान	सुबह 10:00 से सायं 05:00 बजे तक
17	टेलर	सुबह 10:00 से सायं 05:00 बजे तक
18	सूटकेश बैग, पैकिंग मटेरियल	सुबह 10:00 से सायं 05:00 बजे तक
19	कारपेंटर, प्लंबर, ए.सी. मैकेनिक, इलेक्ट्रिशियन अन्य सभी प्रकार के मरम्मत , व्यक्तिगत कार वॉश	सुबह 10:00 से सायं 05:00 बजे तक
20	नवीन सायकल, तीन पहिया, दोपहिया, चार पहिया, भारी वाहन विक्रय	सुबह 10:00 से सायं 05:00 बजे तक
	पेपर हॉकर	सुबह 07:00 से सुबह 10:00 बजे तक

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

19/5/2020

जिला मजिस्ट्रेट
जिला जांजगीर–चाम्पा (छ.ग.)
जांजगीर, चांपा (छ. ग.)

(सील: कलेक्टर जिला जांजगीर–चांपा (छ.ग.))

Scanned by CamScanner

पृ.क्रमांक / 4609 / एडीएम स्टेनो / 2020 जांजगीर, दिनांक 19 मई, 2020

प्रतिलिपि :-

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, छ.ग.शासन गृह विभाग मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, अटल नगर नवा रायपुर को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
3. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, अटल नगर नवा रायपुर को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
4. आयुक्त, बिलासपुर संभाग बिलासपुर की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
5. पुलिस महानिरीक्षक, बिलासपुर क्षेत्र बिलासपुर की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
6. पुलिस अधीक्षक, जांजगीर-चांपा की ओर पालनार्थ एवं कड़ाई से पालन कराना सुनिश्चित करे।
7. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत जांजगीर-चांपा की ओर सादर सूचनार्थ एवं पालनार्थ सम्प्रेषित।
8. सर्व अनुविभागीय दण्डाधिकारी, जिला जांजगीर-चांपा को सूचनार्थ पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। सभी उल्लेखित स्थानो पर मुनादी करावे।
9. सर्व तहसीलदार / कार्यपालिक दण्डाधिकारी, जिला जांजगीर-चांपा को सूचनार्थ पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। सभी उल्लेखित स्थानो पर मुनादी करावे।
10. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला जांजगीर-चांपा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
11. उप संचालक जन संपर्क, जांजगीर-चांपा को सभी दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशनार्थ अग्रेषित।
12. उपसंचालक पंचायत जिला जॉजगीर-चाम्पा को सूचनार्थ / पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
13. सर्व मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत जिला जांजगीर-चांपा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
14. सर्व मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपालिका / नगर पंचायत जिला जांजगीर-चांपा को सूचनार्थ / पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
15. सर्व ग्राम पंचायत जिला जांजगीर-चांपा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

कार्यालय जिला दण्डाधिकारी जांजगीर-चाम्पा (छ.ग.)

19/5/2020

जिला मजिस्ट्रेट
जिला जांजगीर-चाम्पा (छ.ग.)
जिला दण्डाधिकारी
जांजगीर, चांपा (छ. ग.)

Scanned by CamScanner